प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 30.10.2025

हत्या का अपराध करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के गहने, घटना प्रयुक्त मो0सा0 व अन्य सामान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, प्र0नि0 शशि भूषण राय थाना गोरखनाथ के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 468/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त राम आशीष पुत्र चिन्कू निषाद निवासी रामपुर नयागांव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से कब्जे से चोरी के गहने, घटना प्रयुक्त मो0सा0 व अन्य सामान बरामद किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 305ए/317(2) की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.10.2025 को 05.00 बजे शाम के बाद से बहन गायब है उसका कोई पता नही चल रहा है। घरवालो द्वारा काफी तलाश किया गया लेकिन कही पता न चलने पर थाने पर कालर द्वारा गुमशुदा का प्रार्थना पत्र दिया गया और 112 पर काल करके बताया गया। जिसकी जांच के क्रम में यह पाया गया कि पीडिता का भाई राम आशीष घर से अपने मोटरसाइकिल पर बोरे में भरकर कुछ ले जाते हुए दिखायी दिया जिसको कुछ लोगों ने देखा था, जिसका अपनी बहन एवं अपने माता पिता से अच्छे सम्बन्ध नही थे। दिनांक 27/10/2025 को मां छठ पूजा करने हेतु अपने मायके गयी थी। घर पर मात्र अकेले पीड़िता ही उपस्थित थी। उसको भी छठ के दिन तैयार होकर अपनी बहन के घर जाना था। पुलिस के द्वारा अलग बगल सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो उसमें भाई राम आशीष निषाद मोटरसाइकिल पर बोरा में लाद कर कुछ ले जाते हुए दिखाई दिया। दिनांक 28/10/2025 को सर्विलांस व अन्य माध्यमों से जानकारी मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि राम आशीष द्वारा ही घटना कारित की गयी है। पुलिस टीम का गठन कर राम आशीष को पुलिस हिरासत में लिया गया तो उसके पास से गुमशुदा का मोबाइल बरामद हुआ।

पूछताछ के क्रम में अभियुक्त द्वारा बताया कि जमीन बंधे में निकल जाने के कारण सरकार की तरफ से मुवाअजा मिला था। जिसमें अभियुक्त अपना हिस्सा मांग रहा था तो उसके पिता ने पीड़िता की शादी होने के कारण पैसा देने से इंकार कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.10.2025 को पीड़िता को अकेले पाकर उसका गला घोटकर हत्या कर दिया गया और घर में मां के बक्शे का ताला तोड़कर उसमें से रखा गहना व खेत के कागजात चुरा लिया। मृतका का शव बोरे में भरकर मोटरसाइकिल से ले जाकर फेक दिया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त राम आशीष पुत्र चिन्कू निषाद निवासी रामपुर नयागांव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 468/2025 धारा 103(1)/238/305ए/317(2) बीएनएस थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

बरामदगी

1. 01 अदद मृतका का मोबाइल मय चार्जर
2. 01 अदद अभियुक्त का मोबाइल
3. चोरी के गहने (दो अदद टप्स पीली धातु, दो छोटा टप्स पीली सफेद धातु, चार अदद अंगूठी पीली धातु, पांच अदद चूड़ी पीली धातु, दो अदद कान का टप्स पीली धातु, एक अदद पायल का टूटा हुआ घुंघुर सफेद धातु)
4. 01 अदद किसान बही व 01 अदद आधार कार्ड।
5. 01 अदद सफेद कपड़े की पोटली में बोरी सफेद कपडे की रस्सी
6. प्लास्टिक की पतली रस्सी नीला रंग

7. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल

<u>गिरफ्तारी की टीम-</u>

1. प्र0नि0 शशिभूषण राय थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 दिनेन्द्र कुमार थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 रजत त्रिपाठी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 अनुराग सिंह गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
5. म0का0 सविता गुप्ता थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
6. का0 दीपक यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर